

24-2

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

मि०न० - 245/2021

अनवान : -

1 इन्द्रावती पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी पटवा त० भादरा।

:- वादी

बनाम

1. हेतराम पुत्र श्योचंद जाति जाट निवासी पटवा त० भादरा।
2. कृष्ण कुमार पुत्र श्योचंद जाति जाट निवासी पटवा त० भादरा।
3. राजपाल पुत्र रामरख जाति जाट निवासी पटवा त० भादरा।
4. नितिश कुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी पटवा त० भादरा।
5. सुनील कुमार पुत्र मैनपाल जाति जाट निवासी पटवा त० भादरा।
6. राजस्थान मसुधरा ग्रामीण बैंक शाखा जोगीवाला जरिये शाखा प्रबंधक जोगीवाला।
7. बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ श्रीमति शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सतवीर बैनीवाल तथा वकील प्रतिवादी उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा 12 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 97/27 के मु० न० 51 के किला न० 21, 22, 23 कुल 0.7590 है०, मु० न० 52 किला न० 16, 17, 23 ता 25 कुल 1.265 है० नहरी कुल रकबा 2.0240 है० नहरी वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है, जिसमें वादिया के नाम 751.28-1/2 हिरसा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व रोही चक 13 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 4/18 के मु० न० 21 के किला न० 1, 2, 9, 10 कुल 1.0120 है० जिसमें नहरी 0.9620 है०, गै० मु० खाला 0.0500 है०, मु० न० 22 के किला न० 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल 1.5180 है० जिसमें नहरी 1.4430 है०, गै० मु० रास्ता 0.0750 है० कुल रकबा 2.5300 है० जिसमें नहरी 2.4050 है०, गै० मु० खाला 0.1250 है० जिसमें वादिया के नाम से 1.693 है० खातेदारी भूमि का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नकशा दिनांक 03.12.2021 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ पक्षकारान को सुना गया। सभी पक्षकारानों ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज करवाकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पत्रावली पर पक्षकारान का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

1 हिस्सा इन्द्रावती पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट सा० देह खातेदार:-

चक 13 जेजीडब्ल्यू मु0 न0 21 के किला न0 1 व 2 की 0.506है0, किला न0 9 व 10 की 0.506है0, मु0 न0 22 के किला न0 6 की 0.227है0, किला न0 7 की 0.227है0, किला न0 8 की 0.227है0 कुल रकवा 1.693है0 नहरी मय खाला।

चक 12 जेजीडब्ल्यू के मु0 न0 51 के किला न0 21 ता 23 कुल 0.759है0 नहरी वारानी।
2 हिस्सा कृष्ण कुमार पुत्र श्योचन्द, हेतराम पुत्र श्योचन्द, राजपाल पुत्र रामरख, सुनिल कुमार पुत्र भैनपाल, नितिश कुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट सा देह खातेदार :-

चक 13 जेजीडब्ल्यू के मु0 न0 22 के किला न0 3 ता 5 कुल 0.759है0, किला न0 6 की 0.026है0, किला न0 7 की 0.026है0, किला न0 8 की 0.026है0 कुल रकवा 0.837है0 नहरी मय खाला

चक 12 जेजीडब्ल्यू के मु0 न0 52 के किला न0 16 व 17 की 0.506है0, किला न0 23 ता 25 की 0.759है0 कुल 1.265है0 नहरी।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन यथावत रखा जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री संलग्न कर जारी की जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.1.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शासुलयकी नोडरी)
(फास्ट ट्रेक) क्लर्क

सहायक क्लर्क (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

मि०न० - 245/2021

अनवान :-

1 इन्द्रावती पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी पटवा त० भादरा।

:- वादी

बनाम

1. हेतराम पुत्र श्योचंद जाति जाट निवासी पटवा त० भादरा।
2. कृष्ण कुमार पुत्र श्योचंद जाति जाट निवासी पटवा त० भादरा।
3. राजपाल पुत्र रामरख जाति जाट निवासी पटवा त० भादरा।
4. नितिश कुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी पटवा त० भादरा।
5. सुनील कुमार पुत्र मैनपाल जाति जाट निवासी पटवा त० भादरा।
6. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जोगीवाला जरिये शाखा प्रबंधक जोगीवाला।
7. बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजसव भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता तकसीम

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान वास्तुकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री सतवीर बैनीवाल : वादी

वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 12.1.2021

संक्षेप में दावा के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा 12 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 97/27 के मु० न० 51 के किला न० 21, 22, 23 कुल 0.7590 है०, मु० न० 52 किला न० 16, 17, 23 ता 25 कुल 1.265 है० नहरी कुल रकवा 2.0240 है० नहरी वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है, जिसमें वादिया के नाम 751 28-1/2 हिस्सा राजसव रिकार्ड में दर्ज है व रोही चक 13 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 4/18 के मु० न० 2 के किला न० 1, 2, 9, 10 कुल 1.0120 है० जिसमें नहरी 0.9620 है०, गै० मु० खाला 0.0500 है०, मु० न० 22 के किला न० 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल 1.5180 है० जिसमें नहरी 1.4430 है०, गै० मु० रास्ता 0.0750 है० कुल रकवा 2.5300 है० जिसमें नहरी 2.4050 है० गै० मु० खाला 0.1250 है० जिसमें वादिया के नाम से 1.693 है० खातेदारी दर्ज है।

विवादित कृषि भूमि का पक्षकारान के मध्य वाहमी बटवारा मीट्स एण्ड बाऊण्ड से अर्सा 10 वर्ष पहले हो चुका है। पक्षकारान अपने वाहमी बटवारा के मुताबिक अपने हिससे की भूमि काश्त करते आ रहे हैं। महज कामजात माल में खाता मुश्तर्का दर्ज है चूंकि पक्षकारान का खाता काफी बड़ा है तथा पक्षकारान के मध्य काश्त व लगान की बाबत तनाव होता रहता है, इसलिए वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक वही

बंटवारा अपने हिस्से का खाता व लगान अलग कायम करवा पाने का कानूनी मजाज है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 5 की ओर से आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 6 ता 8 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर अनापति जाहिर की।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान मुताबिक वाहमी बंटवारा के उनके दि गई भूमि पर काश्त करते आ रहे हैं। उरी अनुभार खाता लगान अलग अलग कायम किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तागत प्रकरण में वादी ने ग्राम 12 जेजीडब्ल्यू व 13 जेजीडब्ल्यू के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज भूमि का अन्य रइखातेदारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी रोही मौजा रोही मौजा 12 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 97/27 के मु० न० 51 के किला न० 21, 22, 23 कुल 0.7590है०, मु० न० 52 किला न० 16, 17, 23 ता 25 कुल 1.265है० नहरी कुल रकबा 2.0240है० नहरी वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हैं, जिसमें वादिया के नाम 751.28-1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व रोही चक 13 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 4/18 के मु० न० 21 के किला न० 1, 2, 9, 10 कुल 1.0120है० जिसमें नहरी 0.9620है०, गै० मु० खाला 0.0500है०, मु० न० 22 के किला न० 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल 1.5180है० जिसमें नहरी 1.4430है०, गै० मु० रास्ता 0.0750है० कुल रकबा 2.5300है० जिसमें नहरी 2.4050है०, गै० मु० खाला 0.1250है० जिसमें वादिया के नाम से 1.693है० इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 12 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 97/27 के मु० न० 51 के किला न० 21, 22, 23 कुल 0.7590है०, मु० न० 52 किला न० 16, 17, 23 ता 25 कुल 1.265है० नहरी कुल रकबा 2.0240है० नहरी वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है, जिसमें वादिया के नाम 751.28-1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व रोही चक 13 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 4/18 के मु० न० 21 के किला न० 1, 2, 9, 10 कुल 1.0120है० जिसमें नहरी 0.9620है० गै० मु० खाला 0.0500है०, मु० न० 22 के किला न० 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल 1.5180है० जिसमें नहरी 1.4430है०, गै० मु० रास्ता 0.0750है० कुल रकबा 2.5300है० जिसमें नहरी 2.4050है०, गै० मु० खाला 0.1250है० जिसमें वादिया के नाम से 1.693है० खातेदारी भूमि का अच्छी मुन्ती के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नक्शा दिनांक 03.12.2021 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ पक्षकारान को सुना गया। सभी पक्षकारानों ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज करवाकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

महायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

1 हिस्सा इन्द्रावती पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट साठ देह खातेदार:-

चक 13 जेजीडब्ल्यू मु० न० 21 के किला न० 1 व 2 की 0.506 है०, किला न० 9 व 10 की 0.506 है०, मु० न० 22 के किला न० 6 की 0.227 है०, किला न० 7 की 0.227 है०, किला न० 8 की 0.227 है० कुल रकबा 1.693 है० नहरी मय खाला।

चक 12 जेजीडब्ल्यू के मु० न० 51 के किला न० 21 ता 23 कुल 0.759 है० नहरी वारानी।

2 हिस्सा कृष्ण कुमार पुत्र श्योचन्द, हेतराम पुत्र श्योचन्द, राजपाल पुत्र रामरख, सुनिल कुमार पुत्र मैनपाल, नितिश कुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट सा देह खातेदार :-

चक 13 जेजीडब्ल्यू के मु० न० 22 के किला न० 3 ता 5 कुल 0.759 है०, किला न० 6 की 0.026 है०, किला न० 7 की 0.026 है०, किला न० 8 की 0.026 है० कुल रकबा 0.837 है० नहरी मय खाला

चक 12 जेजीडब्ल्यू के मु० न० 52 के किला न० 16 व 17 की 0.506 है०, किला न० 23 ता 25 की 0.759 है० कुल 1.265 है० नहरी।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन यथावत रखा जावे। इसी अनुसार पर्चा डिफ्री संलग्न कर जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.1.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सहायक कलक्टर)
(फास्ट ट्रेक) R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़